

(J.H.C.Sch. 1-7)

☎ : Office - 0651-2462962

Fax No. - 0651- 2481116

From :

ANANT VIJAY SINGH
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF JHARKHAND
RANCHI.

LETTER No. /APPTT.
Dated the 28th January, 2014

To

All the Principal District & Sessions Judges of Jharkhand
including the Principal Judicial Commissioner,
Ranchi.

Sir,

Enclosing herewith a copy of Notification of the Law (Judicial) Department, Government of Jharkhand, Ranchi received to the Court vide memo No.B.1/Vidhi (Court Gathan)-280/2013-161/J dated 27.01.2014, whereby all the Courts of District & Additional Sessions Judge-I of the State of Jharkhand including Judicial Commissioner-I, Ranchi have been designated as the Special Court under Section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, I am to request you to do the needful at your end and communicate the Officer concerned accordingly.

Encl: As above (One Sheet).

Yours faithfully

Sd/- **A.V.Singh**

Registrar General

Memo No.-----1446----- /Apptt. dated Ranchi, the -----28.01.14-----

Copy forwarded to the Deputy Registrar (Protocol), Jharkhand High Court, Ranchi for information with direction to upload the same on the website of the Court.


Registrar General

Play 522 /Appn
Date... 28/1/14

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची-834004

14/1/14
28/1/14
27/1/14

--: अधिसूचना ::--

अधिसूचना संख्या-बी01/विधि (कोर्ट गठन)-280/2013- /जे0 राँची, दिनांक- जनवरी, 2014

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद्, झारखंड सरकार की स्वीकृति के आलोक में झारखंड राज्य के सभी न्यायमंडलों के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 एवं न्यायायुक्त-1 राँची के न्यायालय को अगले आदेश तक लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय पदभिहित (Designate) किया जाता है।

2. विशेष न्यायालयों के लिए पदभिहित (Designate) किये जाने वाले जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 एवं न्यायायुक्त-1 राँची के पदों के संधारण हेतु अलग से वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अधिसूचना संख्या-बी01/विधि (कोर्ट गठन)-280/2013- /जे0 राँची, दिनांक- जनवरी, 2014
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पो0-डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।

ह0/-
(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अधिसूचना संख्या-बी01/विधि (कोर्ट गठन)-280/2013- /जे0 राँची, दिनांक- जनवरी, 2014
प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001/सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अधिसूचना संख्या-बी01/विधि (कोर्ट गठन)-280/2013- 161 /जे0 राँची, दिनांक- 27 जनवरी, 2014
प्रतिलिपि-प्रधान महालेखाकार, झारखंड, पो0-डोरंडा, राँची/महामहिम राज्यपाल जी के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची/मुहानिबंधक, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/निगरानी ब्यूरो, झारखंड, राँची/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रधान न्यायायुक्त, राँची सहित)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखंड/सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.01.14
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।